न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 55/2022

जितेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, निवासी वार्ड नं0 17, सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, मो0 न0 8696973108

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 09.03.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.02.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 55/2022 पर दिनांक 09.03.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/394—95 दिनांक 10.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/170 दिनांक 14.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, ग्राम पोस्ट सुलताना, वार्ड नं0 17, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 28.12.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/513 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट ने अपने पत्र कमांक 599—600 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के 64 रूपये राजकोष मे जमा करवाकर सूचना प्राप्त की जा सकती है तथा बिन्दू सं0 1 के कम मे प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग ने अपने पत्र कमांक 596—598 दिनांक 02.02.2022 द्वारा तहसीलदार चिडावा को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमाई जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू0अ0/22/170 दिनांक 14.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, ग्राम पोस्ट सुलताना, वार्ड नं0 17, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 28.12.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/513 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 16:11:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कलेक्ट्रेट ने अपने पत्र कमांक 599–600 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के 64 रूपये राजकोष मे जमा करवाकर सूचना प्राप्त की जा सकती है तथा बिन्दू सं0 1 के कम मे प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग ने अपने पत्र कमांक 596–598 दिनांक 02.02.2022 द्वारा तहसीलदार चिडावा को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अपीलार्थी को राजस्व अनुभाग से संबंधित सूचना 64 रूपये राजकोष मे जमा कराने पर मिल सकती है। चूंकि बिन्दू सं0 1 की सूचना नही मिली है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, चिडावा को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को बिन्दू सं0 1 के कम मे चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:06 IST
Reason: SelfAttested